कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश

क्रमांकः 3/खाद्य/2/41/2013/75 भोपाल,दिनांक 3.1.2014

प्रति,

1. समस्त उप संचालक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म.प्र.
2. समस्त खाद्य संरक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश

विषयः—फल/सब्जियों/कोल्ड ड्रिंग्स/फ्रूट बीबरेजेज के नियमित रूप से नमूने लिये जाकर उनकी जांच करने बावत्

—

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि एक रिट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके आदेश दिनांक 22.10.2013 द्वारा यह निर्देश दिये हैं कि देश के प्रमुख बाजारों में बिक रहे फल/सब्जियों/कोल्ड ड्रिंग्स/फ्रूट बीबरेजेज के नमूने नियमित रूप से लिये जाकर उनकी विस्तृत जांच की जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार में बिक रहे ये पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं और मानव जीवन के लिये सुरक्षित है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निर्देशों के अनुसरण में फल/सब्जियों/कोल्ड ड्रिंग्स/फ्रूट बीबरेजेज के नमूने लेने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। जिन मानकों के आधार पर प्राधिकरण ने दिशा निर्देशों में जांच की अपेक्षा की है, उनमें से कुछ मानकों की जांच राज्य स्तरीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में नहीं की जाती है, क्योंकि इनके लिये वांछित उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

2. प्राधिकरण ने देश की कुछ प्रयोगशालाओं को इस जांच के लिये अधिकृत किया है, जिसमें इन्दौर स्थित चौकसे प्रयोगशाला भी अधिकृत है। साथ ही प्राधिकरण ने प्रत्येक नमूने की जांच के लिये रूपये एक हजार का शुल्क अनुमोदित किया है । यदि प्रत्येक जिले से इन सभी चारों पदार्थों के 10—10 नमूने लिये जाते हैं तो प्रत्येक जिले से तीन माह में 40 नमूनों के लिये रूपये 40 हजार की आवश्यकता होगी। बजट में प्रावधानित राशि में यह राशि उपलब्ध होना शायद संभव नहीं हैं।

3. वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुये फिलहाल इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल जिलों के प्रमुख बाजारों से फल/सब्जियों/कोल्ड ड्रिंग्स/फ्रूट बीबरेजेज के 5—5 नमूने इस प्रकार संग्रहित किये जायें कि सभी कंपनियों एवं सभी प्रकार के फल/सब्जियों/कोल्ड ड्रिंग्स/फ्रूट बीबरेजेज के नमूने लिये जा सकें। इन 4 जिलों से संग्रहित होने वाले कुल

3/1/14

20–20 नमूनो के लिये बजट में कार्यालयीन/आकस्मिक मद में उपलब्ध राशि से इसकी जांच इन्दौर स्थिति चौकसे प्रयोगशाला में करा ली जाये। दिनांक 1.1.2014 से दिनांक 31.3.2014 के बीच जांच कराकर प्राप्त परिणाम के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने का दायित्व संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का होगा।

4. शेष 47 जिलों में यदि उनके बजट में राशि उपलबध हैं और वे इस प्रकार के नमूने प्रमुख बाजार से संग्रहित कर उनकी जांच करा सकते हैं तो वे उपलब्ध राशि को देखते हुये नमूने संग्रहित कर उनकी उपरोक्तानुसार जांच करायें । यदि उनके बजट में राशि नहीं हैं तो वे नमूनों को संग्रहित नहीं करें तथा राशि उपलब्धता की प्रतीक्षा करें । इस हेतु शासन से अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। फिलहाल प्रथम चरण में उक्त 4 जिलों से 20–20 नमूने संग्रहित कर प्राथमिकता के आधार पर जांच कराने की व्यवस्थाकी जाये और की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करायें।

(डी.डी.अग्रवाल) 3-1-14
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,म.प्र.

पृ. कमांक 3/खाद्य/2/41/2013 / 76 भोपाल,दिनांक 3-1-2014
प्रतिलिपि–
समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश ।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं 3-1-14
नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,म.